राजस्थान में पैनल गठति

चर्चा में क्यों?

के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पछिली सरकार के तहत कथति भ्रष्टाचार **की जाँच का** वादा कयिा है।

मुख्य बदिु:

- राजस्थान में पछिले प्रशासन के **नर्िणयों और योजनाओं की समीक्षा** करने तथा उन्हें जारी रखा जाना चाहयि या नहीं, इसकी सफिारशि करने हेतु एक कैबनिट उप-समतिका गठन कयिा गया है।
  - महलिाओं के लयि मुफ्त मोबाइल फोन, राशन कटि का वतिरण और नए ज़लिों का गठन समीक्षा कयि जाने वाले मामलों में से हैं।
- सरकार ने पछिली सरकार के दौरान **प्रश्नपत्र लीक मामले की भी जाँच के आदेश** दयि हैं।

भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लयि कानूनी और नयिामक ढाँचे

- **कानूनी ढाँचा:**
  - **भ्रष्टाचार नविारण अधनियिम (Prevention of Corruption Act), 1988** में लोक सेवकों द्वारा कयि जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामलि लोगों के लयि दंड का प्रावधान है।
    - **वर्ष 2018** में इस अधनियिम में संशोधन कयिा गया, जसिके अंतर्गत रशि्वत लेने और रशि्वत देने को अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया।
  - **धन शोधन नविारण अधनियिम (Prevention of Money Laundering Act), 2002** का उद्देश्य भारत में धन शोधन (Money Laundering) के मामलों को रोकना और आपराधकि आय के उपयोग पर प्रतबिंध लगाता है।
  - **कंपनी अधनियिम (The Companies Act), 2013** कॉर्पोरेट क्षेत्र को स्वनयिमन का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। 'धोखाधड़ी' शब्द की एक व्यापक परभिाषा है, इसे कंपनी अधनियिम के अंतर्गत दंडनीय (Criminal) अपराध माना गया है।
  - **भारतीय दंड संहता (The Indian Penal Code- IPC), 1860** के अंतर्गत रशि्वत, धोखाधड़ी, वशि्वासघात जैसे अपराध से संबंधति मामलों को कवर कयिा गया है।
  - **बेनामी लेन-देन (नषिेध) अधनियिम, 1988** उस व्यक्तकि दावे प्रतबिंधति करता है जसिने कसिी अन्य व्यक्तकि नाम पर संपत्त अर्जति की है।
- **नयिामक ढाँचा:**
  - **लोकपाल तथा लोकायुक्त अधनियिम, 2013** ने संघ (केंद्र) के लयि लोकपाल और राज्यों के लयि लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है।
    - ये "लोकपाल तथा लोकायुक्त" कुछ नश्चिति श्रेणी के सरकारी अधकिारयिों के वरि्द्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।
  - **केंद्रीय सतर्कता आयोग:** इसका कार्य प्रशासन की नगिरानी करना और भ्रष्टाचार से संबंधति मामलों में कार्यपालकि को सलाह देना एवं मार्गदर्शन करना है।
  - **आपराधकि कानून (संशोधन) अधनियिम, 1952:** IPC की धारा 165 के तहत नर्दिष्ट सज़ा को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दयिा गया।
  - **वर्ष 1964 में संशोधन:** IPC के तहत 'लोक सेवक' तथा 'आपराधकि कदाचार' की परभिाषा का वसि्तार कयिा गया और एक लोक सेवक के लयि आय के ज्ञात स्रोतों से अधकि संपत्तरिखने को अपराध बना दयिा गया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/panel-constituted-in-rajasthan